SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

5-1: A Proposal has been received by this office from अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा, टिहरी गढ़वाल। for diversion under (FCA-1980) of 2.9925 ha. of forest land non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत डांगचौरा–भोल्यार मोटर मार्ग का नव निर्माण. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on date:- 09-08-2017

5-2: On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forest measuring 2.9925 ha.

5-3: The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. **Yes**

5-4: Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of: - **No**

5-5: Whether any protected/archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if so, the details thereof with NOC from competent authority, if required: -**None**

(a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act. 1980 and no work has been started without proper sanction. **(√) No Violation.**

(b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation) Act. 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conservation) Act. 1980 is attached. **(x)-No violated has been done by User Agency.**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

स्थानीय ग्रामवासियों की सुविधा एवं वनों की सुरक्षा की दृष्टि से मोटर मार्ग निर्माण से क्षेत्र की गश्त करने में सुविधा प्रदान होगी साथ ही क्षेत्र के आस–पास की नैलचामी बीट एवं सिवालीपल्ला बीट में भी आसानी से आवागमन हो सकेगा। वनाग्निकाल में मोटर मार्ग निर्माण से वन कर्मियों को वनाग्नि रोकथाम कार्यों में सुविधा प्रदान होगी तथा वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा एवं अनुश्रवण आसानी से किया जा सकेगा। मोटर मार्ग निर्माण से तीन गांवों की लगभग–1228 जनसंख्या को आवागमन की सुविधा प्रदान होगी। अतः वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत कौडिया क0सं0–12 में 0.55 है0, कौडिया क0सं0–13 में 0.96 है0, कौडिया क0सं0–14 में 0.9625 है0 एवं कौडिया क0सं0–15 में 0.70 है0 कुल–2.9925 है0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

Place:- New Tehri
Date:-

(Dr. Koko Rose)
Divisional Forest Officer
Tehri Forest Division
New Tehri

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

प्रारूप–3

भाग–II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या:–FP/UK/ROAD/21726/2015

7–परियोजन / स्कीम की अवस्थिति	
(i) राज्य / संघराज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii) जिलावनप्रभाग	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
(iv) पुर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	कौडिया क0सं0 12 में 0.35 है0, कौडिया क0सं0–13 में 0.98 है0, कौडिया क0सं0–14 में 0.9625 है0 एवं कौडिया क0सं0–16 में 0.70 है0 कुल 2.9925 है0 वन भूमि
8–पुर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति	वन विभाग के स्वामित्व की भूमि
9–अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा	संलग्न है
(i) वन का प्रकार	आरक्षित वन भूमि
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.5
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणन	प्रस्ताव में संलग्न है
(iv) पुर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	–
10–भूक्षरण के लिए पुर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और भेद्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार
11–वन भूमि की सीमा से पुर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	आरक्षित वन भूमि के अन्दर
12–वन्य जीव की दृष्टि से पुर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	
(i) पुर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान नामक वन्य जीव का ब्यौरा	नहीं
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्ररिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अप्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए)	नहीं
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व हाथी गलियारे पुर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि की सीमा से दस कि0मी0 के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका और टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए)	नहीं
(iv) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व हाथी गलियारे वन्यजीव प्रवास के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि की सीमा से एक कि0मी0 के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका औरटिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए)	नहीं
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीवजन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां है, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	नहीं
13 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण स्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किये जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं

14–पूर्वेक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका–टिप्पणियां दें	
(i) क्या भाग–1 में पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथा प्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है	भूमि की माग न्यूनतम है
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गये क्षेत्र जिसका पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है	–
15–किये गये अतिक्रमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हॉ या नहीं)	नहीं
(ii) यदि हॉ की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के का नाम पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के विरूद्ध की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं किया गया है
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अभी भी प्रगति में है (हॉ या नहीं)	नहीं
16– क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ने के लिये पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति	सिविल एवं सोयम भूमि
(ii) अवस्थिति सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें	संलग्न है
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किये गये गैरवनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परक भारत का सर्वेक्षण और समीप्य वन सीमायें संलग्न हैं	संलग्न है
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियॉ कार्यान्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हॉ/नहीं)	संलग्न है
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपरिव्यय	संलग्न है
(vi) क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोण से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न है (हॉ/नहीं)	हॉ
17–वनस्पति और जीव जन्तु पर प्रस्तावित क्रिया–कलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हॉ/नहीं)	हॉ
18 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिये उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें	स्थानीय ग्रामवासियों की सुविधा एवं वनों की सुरक्षा की दृष्टि से मोटर मार्ग निर्माण से क्षेत्र की गश्त करने में सुविधा प्रदान होगी साथ ही क्षेत्र के आस–पास की मैलबागी बीट एवं रैचलीपाताल बीट में भी आसानी से आवागमन हो सकेगा। वनाग्निकाल में मोटर मार्ग निर्माण से वन कर्मियों को वनाग्नि रोकथाम कार्यों में सुविधा प्रदान होगी तथा वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा एवं अनुश्रवण आसानी से किया जा सकेगा। मोटर मार्ग निर्माण से तीन गांवों की लगभग–1226 जनसंख्या को आवागमन की सुविधा प्रदान होगी। अतः वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत कोटिया वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

स्थान–नई टिहरी
दिनांक– 09-08-2017

(........ नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

प्रारुप–43 अतिरिक्त संलग्नक 2.10

परियोजना का नाम:– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार – थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित [illegible] स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी रेंज
नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार से थौलध तक मोटर मार्ग निर्माण लम्बाई 4.275 कि0मी0 2.9925 है0

वृक्षारोपण स्थल का नाम– है0 क्षेत्रफल – **2.9925 x 2** = 5.985 x 2000 = 11970 Plant]

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या– = 11970 पौध

प्रथम चरण

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	संख्या	दर	धनराशि
1	2	3	4	5
1.	सर्वे एवं सीमांकन	2	126	252.00
2.	क्षेत्र की सफाई (झाडी कटान आदि) (450mx0.60x1.20)	5.985	3775	22593.38
3.	अग्रिम दीवाल बन्दी (फैन्सिंग) (480 m x 0.60x 0.45x 1.20) 302.4 घ0मी0	302.4	302	91324.80
4.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अनियंत्रित कार्य हेतु प्राविधान	8	5000	40000.00
		3	32500	97500.00
5.	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45) सेमी0	11970	7.93	94922.10
6.	निरीक्षण बटिया बनाना।	400	18	7200.00
7.	पौधों की कीमत	11970	9	107730.00
8.	अन्य व्यय जैसे यंत्र,औजार तेज करना ।	Ls	Ls	2000.00
9.	अन्य कार्य	Ls	Ls	10000.00
			योग:–प्रथम चरण	**473522.28**

द्वितीय चरण

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	संख्या	दर	धनराशि
1.	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) सेमी0			
2.	पौध ढुलान	11970	1.42	16997.40
3.	पौध रोपण व थावलाबन्दी।	11970	6.35	76009.50
4.	निराई, गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	11970	2.85	34114.50
5.	खाद व दवा पर व्यय	11970	3.79	45366.30
6.	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रख–रखाव पर व्यय 7 माह	Ls	Ls	5000.00
		7	6870	48090.00
7.	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	Ls	Ls	10000.00
8.	अन्य कार्य	Ls	Ls	10000.00
			योग:–द्वितीय चरण	**245577.70**
			कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण	**719099.98**

	तृतीय चरण			
	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	6870	82440.00
	योग– तृतीय चरण			**82440.00**
	चतुर्थ चरण			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 1 श्रमिक 12 माह पार्ट	12	6870	82440.00
	योगः– चतुर्थ चरण			**82440.00**
	पंचम् चरण			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 1 श्रमिक 12 माह पार्ट	12	6870	82440.00
	योगः–पंचम चरण			**82440.00**
	षष्टम् चरण			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 1 श्रमिक 12 माह पार्ट	12	6870	82440.00
	योगः–षष्टम चरण			**82440.00**
	सप्तम् चरण			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 1 श्रमिक 12 माह पार्ट	12	6870	82440.00
	योगः–सप्तम चरण			**82440.00**
	अष्टम् चरण			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 1 श्रमिक 12 माह पार्ट टाईम चौकीदार	12	6870	82440.00
	योगः–अष्टम चरण			**82440.00**
	नवम् चरण			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 1 श्रमिक 12 माह पार्ट	12	6870	82440.00
	योगः–नवम् चरण			**82440.00**
	दशम् चरण			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 1 श्रमिक 12 माह पार्ट टाईम चौकीदार	12	6870	82440.00
	योगः–दशम् चरण			**82440.00**
	प्रथम चरण से दशम् चरण तक का कुल योग–			**1378619.9**
				Or 137860

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग